




20  
11/11/12

प्ररूप 26  
म 4क देखिए)

30, पिरान कलि मर (निर्वाचन क्षेत्र से)



(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

में, बृहन्नान्द पुत्र/पुत्री/पत्नी सूरजा सिंह

आयु 55 वर्ष, जो B-15 शास्त्री नगर ज्वालापुर (हरिद्वार)

का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। नाए

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):- नाए

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नाए

(ii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य नाए

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है नाए

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नाए

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गये थे नाए

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं नाए

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

[Signature]

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। लागू नहीं

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :- लागू नहीं

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... लागू नहीं

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है..... लागू नहीं

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... लागू नहीं जिला (जिले) .....

..... राज्य..... लागू नहीं



(IV) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... लागू नहीं

(V) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... लागू नहीं

(VI) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं..... लागू नहीं

स्थान रोशनाबाद  
तारीख 11.1.2012

Seni  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

रोशनाबाद, हरिद्वार स्थान पर आज तारीख 11.1.2012 को सत्यापित किया।

Seni  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

ATTES TED  
टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

P. K. SINGHAL  
NOTARY ADVOCATE  
H.O. HARDWAR (U.A.)

Witnessed by  
Seni  
अभिसाक्षी

24



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

हरिद्वार को. न्यायिक को. 13A  
 - 2 JAN 2012  
 13AA 252605  
 हरिद्वार

20  
 11/1/12

NOTARY  
 JAGDEEP SINGH  
 ADVOCATE  
 HARIDWAR  
 NO. 84(80)/2001  
 UTTARANCHAL

राम

13A  
 13AA 252605